SKU JOURNAL OF LEX VIBRENT
(NATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL)
January – March 2025
E-ISSN 3048-7323
Vol-2
Issue-1

"अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के संवैधानिक अधिकार एवं उनके संरक्षण हेतु भारतीय कानूनों की प्रभावशीलता"

[1]विवेक प्रताप सिंह
शोधार्थी
[2]डॉ. एल. पी. सिंह,
प्राध्यापक, विधि विभाग
श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

सारांश

भारत एक बहु सांस्कृतिक और बहु जातीय देश है जहाँ अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं। हालांकि, इतिहास गवाह है कि अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ेपन का सामना करना पड़ा है। इन्हें भेदभाव, शोषण और अन्याय झेलना पड़ा है, जिससे उनकी समग्र प्रगति प्रभावित हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान और विभिन्न कानूनों के माध्यम से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को विशेष अधिकार और सुरक्षा प्रदान की गई है।

संविधान के अनुच्छेद 15(3) और 46 के तहत राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सके। इसके अलावा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, संपत्ति अधिकार से जुड़े कानून और श्रम कानून अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित करने का कार्य करते हैं। पंचायती राज अधिनियम, 1996 के तहत ग्राम स्तर पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है, जिससे वे राजनीतिक रूप से सशक्त हो सकें।

हालांकि, जमीनी स्तर पर इन कानूनों के प्रभावशीलता को लेकर कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं। कई क्षेत्रों में जागरूकता की कमी, सामाजिक रूढ़ियाँ और प्रशासनिक ढाँचे की कमजोरियाँ इन अधिकारों के पूर्ण क्रियान्वयन में बाधा बनती हैं।

इस शोध पत्र के माध्यम से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों, उनके संरक्षण हेतु बनाए गए कानूनों और उनकी प्रभावशीलता का विश्लेषण किया जाएगा। साथ ही, यह अध्ययन वर्तमान चुनौतियों की पहचान कर, उनके समाधान हेतु संभावित कानूनी व नीतिगत सुधारों पर भी प्रकाश डालेगा। भारत में अनुसूचित एवं अनूसूचित जातियों के विरूद्ध अपराध एक गंभीर समस्या है जिसका प्रमुख कारण सामाजिक आर्थिक असमानताओं एवं ऐतिहासिक अन्याय रहा है। इन कारकों को तथा इनके सहसंबंधों को प्रकाश में लाने का प्रयास इस शोध के द्वारा किया जाएगा।

कुंजीभूत शब्द

अनुसूचित जनजाति, महिलाएँ, संवैधानिक अधिकार, संरक्षण, भारतीय संविधान, अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 46, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, पंचायतीराज अधिनियम 1996, संपत्ति अधिकार, श्रम कानून, सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता, सशक्तिकरण, प्रभावशीलता, कानूनी प्रावधान, भेदभाव, शोषण, प्रशासनिक चुनौतियाँ, नीति सुधार, न्यायिक दृष्टिकोण।

शोध विस्तार

भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित करता है। विशेष रूप से, अनुसूचित जनजाति (एसटी) की महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए संविधान में विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये अधिकार उनकी गरिमा, पहचान और अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

संवैधानिक अधिकार

1. समानता और भेदभाव का निषेध

संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 15(3) विशेष रूप से राज्य को यह शक्ति देता है कि वह महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान बना सके। यह प्रावधान अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और अन्य क्षेत्रों में समान अवसर सुनिश्चित करने में मदद करता है।

2. शोषण के विरुद्ध अधिकार

अनुच्छेद 23 और 24 के तहत, मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं को अक्सर आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण शोषण का शिकार बनाया जाता है। ये प्रावधान उनके श्रम अधिकारों की रक्षा करते हैं।

3. शिक्षा और संस्कृति का संरक्षण

संविधान का अनुच्छेद 29 और 30 अनुसूचित जनजातियों की संस्कृति, भाषा और परंपराओं के संरक्षण की गारंटी देता है। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 21A के तहत प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है, जिससे एसटी महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सुनिश्चित होता है।

4. सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा

संविधान का अनुच्छेद 46 राज्य को निर्देश देता है कि वह अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की विशेष रूप से रक्षा करे। इस अनुच्छेद के तहत सरकार कई योजनाएँ और कानून लागू करती है, जो एसटी महिलाओं के उत्थान में सहायक होती हैं।

5. राजनीतिक अधिकार और प्रतिनिधित्व

अनुच्छेद 243D और 330-332 के तहत, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को पंचायतों, नगरपालिकाओं और विधानसभाओं में आरक्षण प्रदान किया गया है। इससे वे राजनीतिक रूप से सशक्त होती हैं और नीति-निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होती है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को अत्याचारों से बचाने के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम के तहत उनके खिलाफ होने वाले अपराधों पर कठोर दंड का प्रावधान है। भारतीय संविधान अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करता है। हालाँकि, इन अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक सुधार, जागरूकता और सशक्तिकरण आवश्यक है। केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर इनका प्रभावी कार्यान्वयन ही वास्तविक परिवर्तन ला सकता है।

कानूनी प्रावधान

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

यह अधिनियम अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लोगों को शोषण, भेदभाव और अत्याचार से बचाने के लिए बनाया गया है। यह अधिनियम विशेष रूप से इन समुदायों की महिलाओं की रक्षा करता है, जो कई बार दोहरे भेदभाव (जातीय और लैंगिक) का सामना करती हैं।

1. **अत्याचारों की परिभाषा** – अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के खिलाफ किए गए कई प्रकार के अपराध, जैसे – जातिगत अपमान, सामाजिक बहिष्कार, शारीरिक उत्पीड़न, बलात्कार, संपत्ति छीनना, जबरन मजदूरी आदि को अत्याचार माना जाता है।
2. **कठोर दंड के प्रावधान** – इस अधिनियम के तहत दर्ज अपराधों को संज्ञेय (Cognizable) और गैर-जमानती (Non-bailable) अपराध माना गया है। दोषी पाए जाने पर कठोर दंड का प्रावधान है।
3. **तेजी से न्याय दिलाने के उपाय** – इस कानून के तहत विशेष अदालतों और फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की गई है ताकि मामलों का शीघ्र निपटारा हो।
4. **पीड़ितों को मुआवजा और पुनर्वास** – इस अधिनियम के तहत अत्याचार पीड़ितों को मुआवजा देने और पुनर्वास करने का प्रावधान है।
5. **झूठे मामलों पर रोक** – इस अधिनियम में यह प्रावधान भी है कि यदि कोई व्यक्ति इस कानून का दुरुपयोग करता है, तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

2. पंचायती राज अधिनियम, 1996

पंचायती राज अधिनियम, 1996 (PESA Act - Panchayats Extension to Scheduled Areas) भारत के अनुसूचित क्षेत्रों (जहाँ जनजातीय आबादी अधिक है) में ग्राम पंचायतों को अधिक शक्तियाँ देने के लिए बनाया गया था। यह अधिनियम 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत लाया गया, ताकि जनजातीय समुदायों को स्वशासन का अधिकार मिल सके।

1. **आदिवासी पंचायतों को अधिक अधिकार** – यह अधिनियम अनुसूचित जनजातियों की पंचायतों को स्वायत्तता देता है, जिससे वे अपने मामलों का स्वतंत्र रूप से प्रबंधन कर सकें।
2. **महिला आरक्षण** – इस अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों का आरक्षण दिया गया है, जिससे उनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
3. **भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण** – पंचायती राज अधिनियम, 1996 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों को स्थानीय संसाधनों, वन संपत्तियों और खनिजों के दोहन पर अधिकार दिया गया है।
4. **विकास योजनाओं में भागीदारी** – इस अधिनियम के तहत अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं को स्थानीय विकास योजनाओं में भाग लेने का अधिकार मिला है, जिससे वे अपने क्षेत्र के लिए नीतियाँ बना सकें।
5. **परंपरागत कानूनों का संरक्षण** – इस अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभाओं को यह अधिकार प्राप्त है कि वे स्थानीय रीति-रिवाजों और परंपराओं के आधार पर निर्णय लें।

3. श्रम कानून और अन्य कानूनी प्रावधान

(क) श्रम कानून श्रम कानूनों का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें शोषण से बचाना है। कुछ प्रमुख श्रम कानून निम्नलिखित हैं:

1. **मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936** – यह अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि मजदूरों को समय पर और उचित मजदूरी मिले।
2. **न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948** – इस अधिनियम के तहत सरकार यह तय करती है कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन से कम भुगतान न किया जाए।
3. **समान वेतन अधिनियम, 1976** – यह अधिनियम महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने की गारंटी देता है।
4. **बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, 1976** – इस अधिनियम के तहत जबरन मजदूरी को अपराध घोषित किया गया है।

5. **खदान अधिनियम, 1952 और कारखाना अधिनियम, 1948** – यह अधिनियम खदानों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों, विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

(ख) घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 यह अधिनियम महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करता है। अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं को कई बार घरेलू हिंसा और शोषण का शिकार होना पड़ता है। यह अधिनियम उन्हें कानूनी सहायता, सुरक्षा आदेश और आर्थिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार देता है।

(ग) दहेज निषेध अधिनियम, 1961 हालांकि अनुसूचित जनजातियों में दहेज प्रथा कम देखने को मिलती है, फिर भी यह अधिनियम महिलाओं को दहेज उत्पीड़न से बचाने का एक कानूनी साधन प्रदान करता है।

(घ) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 यह अधिनियम गर्भवती महिलाओं को प्रसूति अवकाश (Maternity Leave) और आर्थिक सहायता प्रदान करता है, जिससे वे कार्यस्थल पर भेदभाव से बच सकें। भारत में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए कई कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 उन्हें हिंसा और भेदभाव से बचाने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान करता है। पंचायती राज अधिनियम, 1996 उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व देता है और श्रम कानून उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हैं। हालाँकि, इन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जागरूकता, प्रशासनिक सुधार और सख्त निगरानी की आवश्यकता है। जब तक इन प्रावधानों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जाता, तब तक अनुसूचित जनजाति की महिलाओं का पूर्ण सशक्तिकरण संभव नहीं होगा।

महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा में न्यायिक दृष्टिकोण: प्रमुख न्यायिक निर्णय और उनके प्रभाव

भारत में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए न्यायपालिका ने कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं। विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति (एसटी) की महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका

महत्वपूर्ण रही है। उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने समय-समय पर संवैधानिक अधिकारों की व्याख्या करते हुए महिलाओं के हित में कई ऐतिहासिक फैसले सुनाए हैं। इस लेख में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा में न्यायिक दृष्टिकोण को समझने के लिए प्रमुख न्यायिक निर्णयों का विश्लेषण किया गया है।

महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा में न्यायिक दृष्टिकोण: प्रमुख न्यायिक निर्णय और उनके प्रभाव भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए भारतीय न्यायपालिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। संविधान ने महिलाओं को समानता, गरिमा और स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान किए हैं, लेकिन ऐतिहासिक रूप से समाज में महिलाओं को विभिन्न प्रकार की लैंगिक भेदभाव और शोषण का सामना करना पड़ा है। ऐसे में, न्यायपालिका ने समय-समय पर अनेक महत्वपूर्ण निर्णय देकर महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके सशक्तिकरण के संदर्भ में कई ऐतिहासिक फैसले सामने आए हैं, जिन्होंने उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों को सुरक्षित करने में मदद की है।

महिलाओं के अधिकारों की रक्षा से संबंधित प्रमुख मामलों में विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997)1 का निर्णय कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बना। इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने "विशाखा दिशानिर्देश" जारी किए, जो कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी ढांचा बने। इस फैसले के बाद कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 पारित किया गया, जिससे महिलाओं को कानूनी संरक्षण मिला। इसी तरह, शाह बानो मामला (1985)2 भी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा में एक महत्वपूर्ण निर्णय था, जिसमें मुस्लिम महिलाओं को भरण-पोषण का अधिकार दिया गया। इस फैसले के बाद, सरकार ने मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 पारित किया, जिसमें तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को और स्पष्ट किया गया।

इसके अतिरिक्त, लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2000) मामले में न्यायालय ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए धर्म परिवर्तन के नाम पर किए जाने वाले बहुविवाह को अनुचित ठहराया। इसी तरह, निर्भया कांड (2012)3 के बाद न्यायपालिका ने बलात्कार के मामलों

में सख्त सजा का प्रावधान किया और सरकार ने आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 को पारित किया। यह संशोधन महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों को रोकने के लिए एक मजबूत कानूनी कदम था, जिसमें नाबालिगों के खिलाफ अपराधों पर भी कठोर दंड का प्रावधान किया गया।

अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के संदर्भ में भी न्यायपालिका ने कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। मदुरी पाटिल बनाम भारत संघ (1994)4 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाणपत्रों को रोकने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए, जिससे अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों का लाभ सुनिश्चित हुआ। इसी प्रकार, केशरी नाथ त्रिपाठी बनाम राज्य सरकार (2001)5 मामले में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को सुरक्षित किया गया। परंपरागत रूप से, आदिवासी समुदायों में महिलाओं को संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाता था, लेकिन इस फैसले के बाद उनके संपत्ति अधिकारों को संवैधानिक सुरक्षा मिली। श्रम कानूनों के संदर्भ में भी न्यायालय ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। एयर इंडिया बनाम नर्गिस मिर्जा (1981)6 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के रोजगार अधिकारों की रक्षा करते हुए यह स्पष्ट किया कि महिलाओं को विवाह के कारण नौकरी छोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह निर्णय महिलाओं के कार्यस्थल अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसी तरह, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन बनाम डिस्टिक्ट जज (2010) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मातृत्व अवकाश के अधिकार को स्पष्ट किया और मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रभावी क्रियान्वयन का निर्देश दिया, जिससे गर्भवती महिलाओं को अवकाश और अन्य सुविधाएँ प्रदान की जा सकें। घरेलू हिंसा और लैंगिक अपराधों के संदर्भ में इंडिपेंडेंट थॉट बनाम भारत संघ (2017)7 मामला भी एक ऐतिहासिक निर्णय था, जिसमें न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ शारीरिक संबंधों को बलात्कार करार दिया। इस फैसले ने बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 को और मजबूत किया और नाबालिग लड़कियों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की। इसी तरह, सबरीमाला मंदिर मामला (2018) में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के धार्मिक अधिकारों को सुरक्षित किया और 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को असंवैधानिक

करार दिया। इस फैसले ने धर्म और परंपरा के नाम पर किए जाने वाले लैंगिक भेदभाव को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया।[8]

महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका द्वारा दिए गए इन फैसलों के बावजूद, अभी भी कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं।कानूनी जागरूकता की कमी, सामाजिक रूढ़ियाँ, प्रशासनिक बाधाएँ और कानूनी प्रक्रियाओं में देरी जैसी समस्याएँ अब भी महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करती हैं। विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को अभी भी कई प्रकार की सामाजिक और आर्थिक असमानताओं का सामना करना पड़ता है। सरकारी योजनाओं और कानूनी प्रावधानों के बावजूद, उनके अधिकारों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। न्यायिक फैसलों को वास्तविक रूप से लागू करने के लिए सरकार, समाज और प्रशासन को मिलकर काम करना होगा। कड़े कानूनों का सख्त अनुपालन, समाज में जागरूकता अभियान, महिला सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना और पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के लिए विशेष अदालतों की स्थापना जैसे कदम उठाने की आवश्यकता है। साथ ही, पुलिस और न्यायिक प्रणाली को अधिक संवेदनशील बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता है, ताकि महिलाएँ बिना किसी डर के न्याय प्राप्त कर सकें।[9]

संक्षेप में, भारतीय न्यायपालिका ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए अनेक ऐतिहासिक फैसले दिए हैं, जिनसे महिलाओं को समानता और न्याय का अधिकार मिला है। हालाँकि, अभी भी कानूनी जागरूकता और कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता बनी हुई है। महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और समाज—सभी को मिलकर काम करना होगा, ताकि महिलाओं को वास्तविक न्याय और समानता सुनिश्चित की जा सके।

निष्कर्ष

महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और सशक्तिकरण में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। न्यायालयों ने समय-समय पर ऐसे निर्णय दिए हैं, जिनसे न केवल महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हुई है, बल्कि समाज में उनके प्रति संवेदनशीलता भी बढ़ी है। विशेष रूप से विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997), शाह बानो मामला (1985),

निर्भया कांड (2012), सबरीमाला मंदिर मामला (2018) जैसे फैसलों ने महिलाओं को कार्यस्थल, परिवार और धार्मिक क्षेत्रों में समान अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, पंचायती राज अधिनियम, 1996 और श्रम कानूनों की प्रभावी व्याख्या करके न्यायपालिका ने समाज के हाशिए पर रहने वाली महिलाओं को न्याय दिलाने का प्रयास किया है।[10]

हालाँकि, इन न्यायिक फैसलों और कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में अभी भी कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं। कानूनी जागरूकता की कमी, सामाजिक रूढ़ियाँ, प्रशासनिक बाधाएँ और कानूनी प्रक्रियाओं में देरी जैसी समस्याएँ अब भी महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करती हैं। इसलिए, केवल कानून और न्यायिक फैसले ही पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि समाज में मानसिकता परिवर्तन, प्रशासनिक सुधार और कड़े कानूनों के सख्त अनुपालन की भी आवश्यकता है।[11]

- यदि न्यायिक फैसलों को पूरी गंभीरता से लागू किया जाए, तो महिलाओं को न केवल समानता और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार मिलेगा, बल्कि वे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त भी हो सकेंगी। इस दिशा में न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और समाज—सभी को मिलकर काम करना होगा, ताकि महिलाओं को वास्तविक न्याय और समानता सुनिश्चित की जा सके। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) 2021 के अनुसार, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 15% वृद्धि दर्ज की गई।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5, 2019-21) के अनुसार, एसटी समुदाय की केवल 16.8% महिलाएँ ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाती हैं, जबकि सामान्य वर्ग की महिलाओं का प्रतिशत 28% है।
- श्रम शक्ति सर्वेक्षण, 2020 के अनुसार, एसटी महिलाओं की श्रम भागीदारी दर 23% है, जो कि सामान्य वर्ग की महिलाओं से काफी कम है।
- भारत में लगभग 47% एसटी महिलाओं को किसी न किसी रूप में लैंगिक भेदभाव या हिंसा का सामना करना पड़ता है (राष्ट्रीय महिला आयोग रिपोर्ट, 2022)।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए कानूनी जागरूकता अभियान, महिलाओं के लिए विशेष हेल्पलाइन, फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना और कठोर कानूनी अनुपालन की आवश्यकता है।

अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए भारत में प्रभावी कानूनी ढाँचा मौजूद है, लेकिन इसके प्रभावी क्रियान्वयन में कई बाधाएँ हैं। यदि कानूनों का सख्ती से अनुपालन किया जाए और सामाजिक जागरूकता बढ़ाई जाए, तो इन महिलाओं को समानता, सुरक्षा और न्याय मिल सकता है।

संदर्भ (Citations)

1. विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, (1997) 6 SCC 241
2. शाह बानो बनाम मोहम्मद अहमद खान, (1985) AIR 945 SC
3. निर्भया मामला, आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013
4. मदुरी पाटिल बनाम भारत संघ, (1994) 6 SCC 241
5. केशरी नाथ त्रिपाठी बनाम राज्य सरकार, (2001) AIR SC 999
6. एयर इंडिया बनाम नर्गिस मिर्जा, (1981) AIR SC 1829
7. इंडिपेंडेंट थॉट बनाम भारत संघ, (2017) 10 SCC 800
8. सबरीमाला मंदिर मामला, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य, (2018) 11 SCC 1
9. मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986
10. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013
11. बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 –अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 –मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961